उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, चतरा।

(समाज कल्याण शाखा)

–::आमसूचना::–

दिनांक–02.11.2017 के पूर्व में अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी हेतु सम्पन्न ग्रामसभा के फलस्वरुप बाल विकास परियोजना कार्यालय, हंटरगंज, ईटखोरी एवं चतरा ग्रामीण के द्वारा पूर्व के मेधा सूची के आधार संचिका/प्रस्ताव अनुमोदन हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

उक्त प्रस्ताव में संलग्न पूर्व के मेधा सूची पर प्रखण्ड स्तरीय कमिटि का अभिप्रमाणित प्रति की आवश्यकता है कि पूर्व के मेधा सूची में उन्हीं आवेदिकाओं का नाम अंकित है जिनकें द्वारा उक्त ग्रामसभा में आवेदन प्रस्तुत की गयी एवं किसी भी अन्य आवेदिका का नाम छूटा अथवा जोड़ा नहीं गया है।

उक्त परिपेक्ष्य में पूर्व में तैयार मेधा सूची में त्रुटि होने पर आपत्तिकर्त्ता आवेदक/आवेदिका दिनांक–12.11.2020 से 25.11.2020 तक आपत्ति संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड स्तरीय कमिटि के समक्ष प्रस्तुत करें।

उपरोक्त वर्णित परियोजनाओं में पूर्व के मेधा सूची के आधार पर तैयार प्रस्ताव का मेधा सूची की विस्तृत जानकारी चतरा एन0आई0सी0 के **Website-chatra.nic.in** पर देखा जा सकता है।

ह0/-
उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांकः–861/स0क0 दिनांक 11/11/2020

प्रतिलिपिः– 1.जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेश दिया जाता है कि पोषण सखी के चयन से संबंधित सूचना सभी दैनिक समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त,
चतरा।